न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस
पंचायत अपील सं0 01/2022 मूलसिंह बनाम ग्रा0पं0 उटाम्बर वगैरा

30.12.2022

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित ने उक्त अपील विकास अधिकारी, पंचायत समिति बालेसर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति (नये कार्यो के लिए) संख्या व वर्ष : As/2021-2022/250767 दिनांक 04.01.2022 एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या व वर्ष : As/2021-2022/215898 दिनांक 11.01.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 22.07.2022 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97ए के तहत प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलाधीन स्वीकृतियों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की छूट प्रदान करने हेतु डिस्पेन्स विथ का प्रार्थना पत्र व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अपील एडमिशन बहस हेतु लंबित चल रही थी।

इस बीच दिनांक 18.10.2022 को अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उक्त अपील दर्ज करने का आग्रह किया गया, जिन्हें एडमिशन बिन्दु पर विस्तृत रूप से सुना गया एवं अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार से परे है। वकील अपीलांट द्वारा उक्त अपील सब्जेक्ट–टू–ऑब्जेक्शन दर्ज करने का भी आग्रह किया गया।

जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97क अपीले–की उपधारा 1 व 2 में निम्नलिखित प्रावधान है :–

(1) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन किये गये या जारी किये पंचायत समिति के किसी आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार किए गये आदेश या निर्देश के विरूद्ध अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद को ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से 30 दिन के भीतर–भीतर अपील कर सकेगा और उक्त कालावधि की

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

संगणना में उसकी प्रति प्राप्त करने में लगा समय अपवर्जित किया जावेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के अधीन किये गये या जारी किये जिला परिषद के किसी आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार किये गये आदेश या निर्देश के विरूद्ध अधिकारिता रखने वाले खंड आयुक्त को ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से 30 दिन के भीतर–भीतर अपील कर सकेगा और उक्त कालावधि की संगणना में उसकी प्रति प्राप्त करने में लगा समय अपवर्जित किया जायेगा।

इस प्रकार उक्त धारा इस अधिनियम के **अध्याय–4** "राज्य सरकार आदि की शक्तियॉ" के प्रावधानों में अन्तर्निहित धारा 92 से 107 में वर्णित है। जो इस अध्याय की परिकल्पना अथवा उद्धेश्य "कि किसी पंचायती राज संस्था या उसकी स्थायी समिति के प्रशासन संबंधी विषयवस्तु की विधि अनुकूल पालना को लेकर स्थापित की गई है"। जिसका इन्टरपिटिशन इस अपील की विषयवस्तु से सर्वथा भिन्न है। साथ ही उक्त स्वीकृतियां आदेश की श्रेणी में नही आती है। अतः ऐसे मामलों में शिकायत के प्रावधान ही उपयुक्त है।

ऐसी स्थिति में यह अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97ए के तहत पोषणीय/ग्रहण करने योग्य नही होने से, तदनुसार एडमिशन बिन्दु पर ही निरस्त की जाती है। अतः उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर नम्बर से कम की जावे। अपीलाण्ट सक्षम स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है। इस आधार पर यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ही निरस्त की जाती है।

30/11

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर